न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 68/2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/150

उनवान

लटूरलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी बृजनगर तहसील कनवास,जिला कोटा।

(अपीलान्ट)

बनाम

रंगलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी थूमडा तहसील कनवास,जिला कोटा

(रेस्पोडेन्ट्)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री धनश्याम नागर ,(अपीलान्ट)
अभिभाषक श्री भगवती बल्लभ (अपीलान्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय

दिनांक 4.08.2025 न्यायालय तहसीलदार कनवास

निर्णय दिनांकः– 2/4/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि,न्याय एवं संचिका में सिद्वी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट को ग्राम बृजनगर स्थित खसरा न. 54/738 पर अतिक्रमी होना मानकर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब व जवाब में वर्णित तथ्यो का गुणावगुण पर खण्डन किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्व आदेश प्रदान कर दिया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया गया कि रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र का अपीलान्ट द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया और मौके कि विडियो रिकॉडिंग व फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये,जिनको देखे बिना ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मेड तोडना मान लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी लगभग 13 वर्ष पूर्व खरीद की है तथा मौके पर जहां काबिज है वही आज भी काश्त करता चला आ रहा है। तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन कहा कि अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया है। किन्तु फिर भी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

बिना किसी आधार के अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही जाति के व्यक्ति है जिन पर धारा 183 बी के प्रावधन लागू नही होते है फिर भी अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

योग्य अधीनस्थ ने इस तथ्य की और ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.5.2025 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की करीबन 1 बीघा भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया जिसकी रिपोर्ट करवाने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा नशे पतें में उक्त मेड को तोडना होना कहा और वापिस मेड बांधने का आश्वासन दिया किन्तु उक्त धटना से बचने के लिए रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही व धारा 63 साक्ष्य अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही एवं खसरा नम्बर 54 के सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिये गये।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय सव्यय खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्टस को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट की ओर से वकील श्री भगवती बल्लभ द्वारा वकालतनामा पेश हुआ।

पत्रावली का अवलोन किया गया। उक्त अपील वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.08.2025 के विरूद्व दिनांक 12.09.2025 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा और अपील आदेश की जानकारी नकल प्राप्त होने पर होना जाहिर किया गया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट को ग्राम बृजनगर स्थित खसरा न. 54/738 पर अतिक्रमी होना मानकर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब व जवाब में वर्णित तथ्यो का गुणावगुण पर खण्डन किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्व आदेश प्रदान कर दिया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया गया कि रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र का अपीलान्ट द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया और मौके कि विडियो रिकॉडिंग व फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये,जिनको देखे बिना ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मेड को तोडना मान लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी लगभग 13 वर्ष पूर्व खरीद की है तथा मौके पर जहां काबिज है वही आज भी काश्त करता चला आ रहा है। तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन कहा कि अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया है। किन्तु फिर भी बिना किसी आधार के

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही जाति के व्यक्ति है जिन पर धारा 183 बी के प्रावधन लागू नही होते है फिर भी अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान् के मध्य खेत की सीमा को लेकर विवाद है। यदि पक्षकारान् की मौजूदगी में विवादित आराजीयात् का सीमाज्ञान किया जाता है तो विवाद की स्थिति नही रहेगी। विवादित आराजीयात् का सीमाज्ञान करवाये जाने में वकील अपीलान्ट द्वारा भी सहमति जाहिर की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी प्रार्थी रंगलाल आत्मज मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तूमडा तहसील कनवास द्वारा मुख्यरूप यह अंकित किया है कि ख.न. 54/738 की आराजी की मेड अप्रार्थी लटूरलाल द्वारा जबरन हॉक कर अपने खाते में 3,4 बीधा जमीन मिला ली गई है। प्रकरण में न्यायालय का यह मत है कि पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद है। विवादित आराजीयात् का सीमाज्ञान करवाने में वकील रेस्पोडेट व अपीलान्ट भी सहमत है।

अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास के आदेश दिनांक 4.08.2025 को अपास्त किया जाकर अपील इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 54/738 माल ग्राम बृजनगर पटवार हलका बृजनगर तहसील कनवास का सीमाज्ञान पक्षकारो को सूचित करते हुए करवाया जाकर एक माह में पुनःविधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02/4/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कोटा (राज.) ★ सत्यमेव जयते